

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :- अवैध संदेहास्पद जमाबंदी

अभिलेख संख्या :- ३७/११-१७

अपर समाहर्ता गोडडा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री जगन्धर या राव ..... वो अंचल निरीक्षक श्री राधेश्याम राय ..... का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बहुसा ..... थाना नं0 892 ..... गैरमजरुआ खाता नं0 24/47 ..... दाग नं0 32 ..... रकवा 01-03-15 किस्म पत्ती बरीस श्री जगन्धर रविदास ..... पिता ईश्वर रविदास ..... साकिन ..... के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री जगन्धर रविदास ..... को दिनांक ३०/३/१६ ..... समय ११:०० AM ..... पुर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

be  
३०/३/१६

अंचल अधिकारी,  
महागामा।

३०/३/१६

अभिलेख उपस्थापित।

जगन्धर रविदास के ईश्वर रविदास के पुत्र श्री कृष्ण केव रविदास उपस्थित। उन्होंने जमीन प्राप्त होने संबंधी ब्याख्य के रूप में अनुसूचल पंजाब के Rent fixation वाद की क्षत्राप्रति प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा यह भी बताया गया कि सम्पूर्ण भूमि का अधिग्रहण ECU राजप्रहल परियोजना द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। अभिलेख दिनांक ११.०८.२०१६ को रखें।

be  
३०/३/१६

30/3/16  
4121

आमिलेख उपस्थापित। 28/07/2020 रविंद्रास डोगी।  
जसा किचा जथा हे आमिलेख दिनांक 28/07/2020 को रक्के।

11/07/20  
अप का

31/7/2020

आमिलेख उपस्थापित।  
नोटिस निर्गत करे।

अप का  
महागामा  
अमिलेख

31/7/2020

05.01.2021

आमिलेख उपस्थापित।

राज उपनिरीक्षक-सह-प्रभावी अंचल निरीक्षक  
महागामा से प्रसंगत शक्ति का नैतिक प्रतिवेदन के साथ  
आमिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन  
किया प्रतिवेदानुसार अर्बेध सैद्धीरूपद पंजी-II इंचत  
का शक्ति सहम पदाधिकारी से प्राप्त है। वर्तमान में  
उक्त शक्ति ई० सी० रुखल ECL होत के अधिग्रहण  
होत के अंतर्गत है।

अतः उपरोक्त के आलोक में आमिलेख की  
कारिवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

अंचल आधिकारी  
महागामा

अंचल आधिकारी  
महागामा